यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, गोपेश्वर (चमोली)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **कार्यालय, जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, गोपेश्वर (चमोली)** के माह 02/2015 से 01/2017 तक के अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अनिल कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, एवं श्री शरत श्रीवास्तव तथा श्री राकेश रंजन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.02.2017 से 28.02.2017 तक श्री एस.के. जौहरी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अनिल कुमार, लेखापरीक्षक तथा सुश्री मानसी जैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 08.02.2015 से 18.02.2015 तक श्री महेन्द्र तिवारी, लेखापरीक्षा के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 12/2012 से 01/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- गाँवों में निवास करने वाले युवाओं से संबंधित विभाग की दोनों इकाईयों वर्दीधारी दल के सदस्य तथा महिला एवं पुरूष वर्ग के सदस्यों तथा इनकी सहभागिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न स्तरों पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन बालक-बालिका एवं महिलाओं की पंचायत स्तर से खण्ड स्तर एवं जिला स्तर से राज्य स्तर में प्रतिभाग करवाना। महिला/युवक मंगल दलों को प्रोत्साहन सामग्री उपलब्ध करवाना एवं ग्रामीण महिला/युवक मंगल दलों के मनोरंजन चारित्रिक विकास अनुशासन एवं भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को समाज रोगार प्रदान किया जाता है, एवं व्यवसायों प्रशिक्षण केन्द्र अंतर्गत ऊनी हथकरघा प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार परक व्यवसायों सो उत्पादन करवा कर उनके रोजगार में वृद्धि करवायी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के बाल-बालिकाओं के खेल प्रतिभा को निखारने के लिये मिनी स्टेडियम/खेल मैदान का निर्माण किया जाता है। इकाई का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण चमोली जनपद है।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना/अयोजनेत्तर				गैर-स्थापना/आयोजनागत			
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आधिक्य	बचत/समर्पण	आवंटन	व्यय	आधिक्य	बचत/समर्पण
2014-15	-	-	97.20	86.12	0	11.08	240.63	240.28	0	0.35
2015-16	-	-	94.77	92.7	0	2.07	260.00	260.00	0	0
2016-17 (01/2017 तक)	-	-	81.27	55.03	0	0	276.97	244.14	0	0

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	व्यय आधिक्य	बचत
2014-15	पायका/राजीव गाँधी खेल कूद प्रतियोगिता	151.16	25.05	113.51	-	62.71
2015-16	पायका/राजीव गाँधी खेल कूद प्रतियोगिता	62.71	44.55	85.32	-	21.94
2016-17	पायका/राजीव गाँधी खेल कूद प्रतियोगिता	21.94	8.99	8.03	-	22.90

(III) इकाई को बजट आवंटन जिला योजना, राज्य योजना एवं केन्द्र पोषित योजनाओं से प्राप्त होता है।

(IV) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

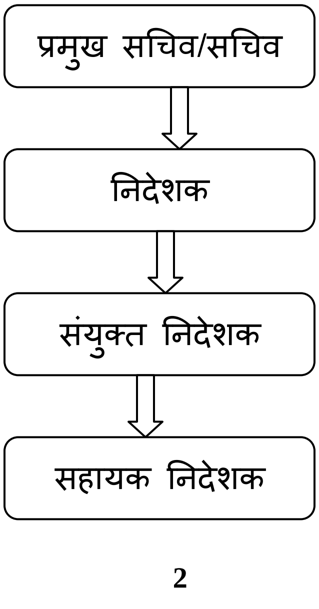

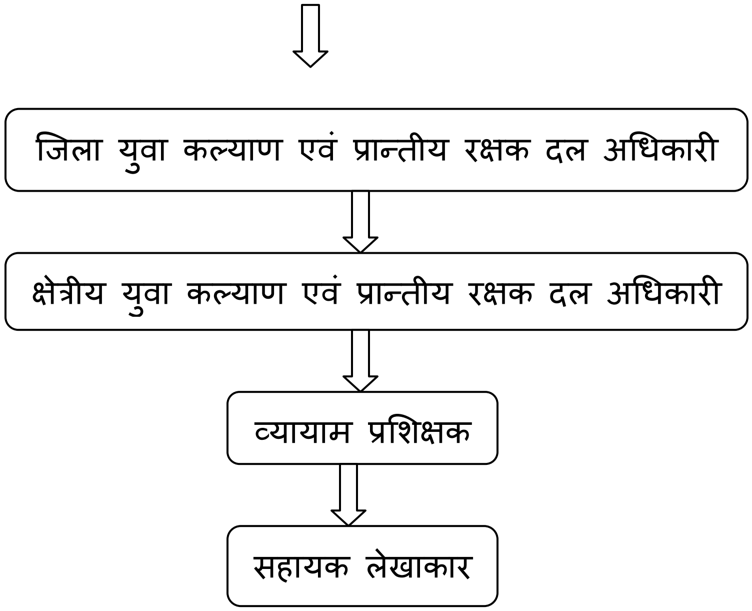
जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी
क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी
व्यायाम प्रशिक्षक
सहायक लेखाकार

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में **कार्यालय, जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, गोपेश्वर (चमोली)** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, गोपेश्वर (चमोली)** की लेखा परीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है।

(VI) विस्तृत जांच हेतु माह का चयनः व्यय हेतु माह मार्च 2015 एवं दिसम्बर 2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया है। इसी प्रकार, राजस्व हेतु माह जून 2016 एवं जनवरी 2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम प्राप्ति के आधार पर किया गया है।

योजना का चयनः लेखापरीक्षा में निम्नलिखित 03 योजनाओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन उक्त योजनाओं के अंतर्गत अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

1. पायका योजना
2. युवक/प्रान्तीय रक्षक दलों का मानदेय
3. छोटे खेल मैदान निर्माण

(VII) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16, लेखा तथा लेखपरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(अ)

प्रस्तर-1- प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों के मानदेय के विभाग द्वारा किया गया परिहार्य व्यय ` 177.75 लाख।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक सं. 16/VI-2/2013-8 (यु.क.)/2012 दिनांक 03.07.2013 एवं पत्रांक सं. 04/vi-2/2015-16/2012 दिनांक 13.01.2015 में सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा बिन्दु सं. 2 में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया था कि यदि किसी विभाग द्वारा प्रान्तीय रक्षक दल को स्वयं सेवकों की आवश्यकता बतायी जाती है तो उनके मानदेय का भुगतान भी संबंधित विभाग के द्वारा ही किया जायेगा। वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के प्रान्तीय रक्षक दल को स्वयं सेवकों के मानदेय के भुगतान से संबंधित देयकों के निरीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभागों में तैनाती प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा न करके युवा कल्याण विभाग द्वारा अपने जिला योजना के बजट से किया गया। जो उक्त शासनादेश एवं जिला योजना के दिशानिर्देशों के सर्वथा विपरीत था। वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में विभाग में तैनात स्वयं सेवकों को भुगतानित राशि का विवरण संलग्न-क के अनुसार क्रमशः ` 123.17 लाख तथा ` 54.58 लाख था, जिसका भुगतान जिला योजना के बजट से किया गया था। यह राशि वर्ष 2015-16 में कुल अनुमोदित परिव्यय ` 260 लाख का 47 प्रतिशत तथा वर्ष 2016-17 में कुल अनुमोदित परिव्यय ` 334.00 का 16 प्रतिशत था। यह भी पाया गया कि वर्ष 2016-17 में कुल अनुमोदित परिव्यय के विपरीत ` 276.98 लाख का बजट फरवरी 2016 तक जिला योजना में अवमुक्त हुआ था जिसमें 11 अनुमोदित मदों के विपरीत मात्र चार मदों में राशि अवमुक्त की गयी थी। जिसमें सबसे ज्यादा राशि समाज सुरक्षा में ` 256.30 लाख के अंतर्गत अवमुक्त की गयी थी। तथा इस राशि में से ` 54.58 लाख विभागों में तैनात स्वयं सेवकों के मानदेय में किया गया था। जिसकों शासनादेशों का पालन करके विभाग द्वार रोका जा सकता था।

विभाग से पूछे जाने पर बताया गया कि जिला योजना में धनराशि उपलब्ध होने के कारण विभागों/मुख्यालयों में तैनात स्वयं सेवकों को मानदेय का भुगतान इस विभाग द्वारा किया जाता रहा। तथा विगत वर्षों से यह प्रथा चली आ रही है इसीलिये भुगतान की कार्यवाही इस कार्यालय से की जा रही है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि जब शासन द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जा रहा है कि यदि किसी विभाग द्वारा प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों की आवश्यकता बतायी जाती है तो उनके मानदेय का भुगतान भी संबंधित विभाग के द्वारा ही किया जायेगा। तो कार्यालय को उका अनुपालन कर जिला योजना के बजट का सदुपयोग कल्याकारी योजनाओं में किया जाना चाहिये था। जो जिला योजना का मूलभूत उद्देश्य था।

अतः प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों के मानदेय में विभाग द्वारा किया गया परिहार्य व्यय ` 177.75 लाख[1] का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

---

[1] वर्ष 2015-16 में ` 123.17 लाख तथा वर्ष 2016-17 में ` 54.58 लाख

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- ` 13.38 लाख की धनराशि को अवरूद्ध रखा जाना।

(i) भारत सरकार की योजना पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान (पायका) के अंतर्गत क्षेत्र पंचायत, कर्णप्रयाग (खण्ड विकास अधिकारी, कर्णप्रयाग) को 02/2012 में खेल मैदान के निर्माण हेतु ` 5.00 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गयी थी, परन्तु लेखापरीक्षा तिथि तक क्षेत्र पंचायत कर्णप्रयाग द्वारा न तो खेल मैदान का निर्माण किया गया एवं न ही उक्त धनराशि को जिला युवा कल्याण एवं प्रारद अधिकारी कार्यालय को वापस किया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि पूर्व प्रस्तावित भूमि रेलवे लाइन सर्वे में चिन्हित होने के कारण अन्य स्थान पर मैदान निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि धनराशि प्रदान करने के 5 वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात भी स्थल निर्धारित कर खेल मैदान बनाने की कार्यवाही नहीं की गयी थी, साथ ही वर्तमान प्रस्ताव भी विभागीय स्तर पर लंबित था जिस कारण ` 5.00 लाख की धनराशि बिना किसी कार्यवाही के अवरूद्ध रखी गयी थी।

(ii) जिला योजना के अंतर्गत खेल मैदाम, गौचर के विस्तारीकरण कार्य हेतु ` 5.00 लाख की धनराशि माह 04/2016 में कार्यदायी संस्था RES को उपलब्ध कराई गयी थी, परन्तु धनराशि उपलब्ध कराने के 10 माह बीतने के पश्चात भी कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका था। इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि उपजिलाधिकारी, कर्णप्रयाग द्वारा इसे गौचर को नाप भूमि बताये हुये कार्य रोक दिया गया एवं संबधित धनराशि से अन्य स्थान पर निर्माण कार्य हेतु कार्यवाही गतिमान है। इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तर के समर्थन में एक भी उचित दस्तावेज लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ` 5.00 लाख की धनराशि बिना किसी उचित कारण के अवरूद्ध रखी गयी थी।

(iii)उत्तराखण्ड के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने तथा स्वावलंबी बनाने के दृष्टिकोण से विभाग द्वारा ‘युवा दलों को आर्थिक सहायता कार्यक्रम’ का संचालन किया जा रहा था। जिसके अंतर्गत कृषि, पर्यावरण, पर्यटन, लघु उद्योग, तकनीकी एवं अन्य विविध बहुआयामी जनोपयोगी क्षेत्र में कार्य किये जाने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी थी। इस हेतु उत्तराखण्ड राज्य के अंतर्गत पंजीकृत युवक/महिला मंगल दलों से प्रस्ताव किये जाने थे। योजना के सफल संचालन हेतु इसका व्यापक प्रचार व प्रसार किया जाना चाहिये था, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को इसका लाभ, परन्तु विभाग द्वारा इस संबंध में उदासीनता दिखाते हुये मात्र एक बार समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया, फलतः 2014-15 में आवंटित के विरूद्ध एक भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ और योजना की धनराशि PLA अवरूद्ध पड़ी रही। पुनः 2015-16 में इस योजना के अंतर्गत 1.69 लाख की धनराशि आवंटित की गयी, परन्तु व्यापक प्रचार-प्रसार के अभाव में मात्र 4 प्रस्ताव

विभाग को प्राप्त हुये जो प्राप्ति के 7 माह के उपरान्त 12/2016 में निदेशालय को भेजे गये एवं लेखापरीक्षा तिथि तक उक्त प्रस्ताव निदेशालय स्तर पर अनुमोदन हेतु लंबित थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में इंगित किये जाने पर बताया गया कि निदेशालय स्तर से प्रस्तावों की स्वीकृति एवं अनुमोदन के उपरान्त संबंधित दलों को धनराशि दी जायेगी। इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2014-15 में प्राप्त धनराशि (` 1.69 लाख) कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने से पहले से ही बैंक खाते में पड़ी थी एवं 2015-16 में प्राप्त प्रस्तावों पर 9 माह की अवधि बीत जाने के पश्चात भी निर्णय नहीं लिया गया था। इस प्रकार कुल ` 3.38 लाख की धनराशि बैंक खाते में अवरूद्ध पड़ी थी।

उपरोक्त खण्ड (i), (ii), (iii) के क्रम में कुल ` 13.38 लाख की अवरूद्ध धनराशि का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- पायका योजना की कैश बुक एवं पासबुक का मिलान न किये जाने के परिणाम स्वरूप ` 17,37,761.00 का अन्तर परिलक्षित होना।

भारत सरकार की योजना पंचायत क्रीडा एवं खेल अभियान (पायका) के दिशा निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायतों को 01 लाख तथा क्षेत्र पंचायतों को ` 5.00 लाख की धनराशि खेल मैदानों के निर्माण हेतु प्रदान की गयी थी। नियमतः किसी भी योजना की कैश बुक प्रत्येक वितीय वर्ष के अंत में बैंक पास बुक से मिलान कर लेखाबन्दी की जानी चाहिये, ताकि किसी प्रकार के अन्तर का कराण स्पष्ट हो सके। पायका योजना की कैश बुक की जांच में पाया गया कि कैश बुक की वर्षवार लेखाबन्दी नहीं की जा रही थी एवं योजना की कैश बुक एवं पास बुक का मिलान करने पर वर्ष 2014-15 में ` 4,22,627.00, 2015-16 में ` 5,72,095.0 तथा वर्ष 2016-17 में माह 12/2016 तक ` 7,43,039.00 की धनराशि का अन्तर परिलक्षित हो रहा था। अन्तर का आधिक्य बैंक पास बुक के स्तर पर था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि आगे से मार्च माह में वांछित कर लेखाबन्दी की जायेगी तथा कैश बैंक व पासबुक का मिलान न हो पाने का कारण जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज है। शीघ्र कैश बैंक व पासबुक की प्रविष्टियों का मिलान कर तथ्यों से वगत करा दिया जायेगा। इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जब तक प्रविष्टियों का मिलान न किये जाये यह करना कि अन्तर ब्याज की धराशि का है उचित नहीं है। साथ ही तीन वर्षों से मिलान की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी।

अतः योजना की कैश बैंक एवं बैंक पासबुक में वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 (माह 12/2016 तक) में परिलक्षित कुल ` 17.38 के अन्तर का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-3- ` 12.10 लाख की अर्जित ब्याज की धनराशि को सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा नहीं कराया जाना।

प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक संख्या 875/वित्त विभाग-3/2003 दिनांक 30 अप्रैल 2003 द्वारा शासकीय विभागों के कार्यों हेतु बैंक में खाता खोलने का कोई प्रावधान नहीं है जब तक शासन के वित्त विभाग द्वारा विशेष कार्य/अवधि हेतु अनुमति प्रदान न की गई हो। यदि कोई खाता खोला गया हो तो उस पर प्राप्त अर्जित ब्याज को सुसंगत लेखाशीर्षक 0049 ब्याज प्राप्तियों में तत्काल जमा करा दिया जाए।

कार्यालय, जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, गोपेश्वर (चमोली) के अंतर्गत आदेशानुसार खोले गए बैंक खातों की नमूना जांच में पाया गया कि निम्नलिखित तीन बैंकों में लेखापरीक्षा अवधि तक ` 1210469/- की धनराशि की अर्जित ब्याज पड़ी हुई थीः

क्र.सं.	बैंक का नाम तथा खाता संख्या	अद्यतन अर्जित ब्याज की धनराशि
1.	चमोली जिला सहकारी बैंक लि. 000134029000114	91,836
2.	आई.डी.बी.आई. बैंक 1530104000008600	32,306
3.	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया 60230201000448	10,86,327
	कुल धनराशि	**` 12,10,469/-**

उक्त के विषय में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, गोपेश्वर (चमोली) ने उक्त तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हे बताया कि उक्त ब्याज की धनराशि को यथाशीघ्र उचित लेखाशीर्ष में जमा करा दिया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं क्योंकि ब्याज द्वारा अर्जित धनराशि को सुसंगत लेखाशीर्षक 0049 ब्याज प्राप्तियों में तत्काल जमा करा देना चाहिए था।

अतः ` 12.10 लाख की अर्जित ब्याज की धनराशि को संसुगत लेखाशीर्ष में नहीं जमा कराने संबंधी प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- दिशा-निर्देशों के विपरीत प्रान्तीय रक्षक दल स्वयंसेवकों की तैनाती।

सचिव, युवा कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक संख्या 277/VI-2/2016-61(10)12 दिनांक 28 अप्रैल 2016 तथा पत्रांक संख्या 385/VI-2/2015-51(3)15 दिनांक 09 सितम्बर 2015 द्वारा विभिन्न विभागों की मांग के आधार पर युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग द्वारा प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की विभिन्न पदों पर तैनाती की जाएगी। यह भी उल्लेखनीय है कि पंजीकृत एवं प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की ही तैनाती की जाएगी तथा अपंजीकृत एवं अप्रशिक्षित स्वयंसेवकों की तैनाती प्रान्तीय रक्षक दल विभाग द्वारा किसी भी दशा में नहीं की जाएगी। साथ ही तैनाती किए गए कुल प्रान्तीय रक्षक दल स्वयंसेवकों में से 25 प्रतिशत प्रशिक्षित महिला स्वयंसेवकों की तैनाती प्राथमिकता स्वरूप सुनिश्चित किया जाएगा।

कार्यालय, जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, गोपेश्वर (चमोली) में मई 2016 से जनवरी 2017 तक प्रान्तीय रक्षक दल स्वयंसेवकों की विभिन्न पदों पर किए गए तैनाती से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा तैनात किए गए कुल प्रान्तीय रक्षक दल स्वयंसेवकों (551) में से लगभग 45 प्रतिशत (251) अपंजीकृत एवं अप्रशिक्षित स्वयंसेवकों की तैनाती की गई साथ ही तैनाती किए गए कुल प्रान्तीय रक्षक दल स्वयंसेवकों (551) में से लगभग 10 प्रतिशत (60) पदों पर ही महिला स्वयंसेवकों की तैनाती की गई जो कि शासनादेश के दिशा-निर्देशों के विपरीत था।

उक्त के विषय में लेकापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, गोपेश्वर (चमोली) ने आपत्तियों को स्वीकार करते हुए बताया कि अपरिहार्य कारणों से अप्रशिक्षित एवं अपंजीकृत स्वयंसेवकों की तैनाती से उनकी कार्यकुशलता एवं कार्य की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

इस प्रकार, दिशा-निर्देशों के विपरीत प्रान्तीय रक्षक दल स्वयंसेवकों की तैनाती का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

1- विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो(ब) प्रस्तर संख्या	STAN
2008-09	02	-	-	01
2012-13	80	01	01	-
2014-15	176	-	01	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
2008-09/02		इकाई द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया गया।	प्रतिउत्तर के अभाव में यथावत	
2012-13/80				
2014-15/176				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

इकाई द्वारा प्रत्येक माह मासिक प्रगति रिपोर्ट को बनाया जा रहा था।

खण्ड में समस्त अभिलेखों का रख-रखाव सही ढंग से किया गया था।

खेलों इंडिया योजना के तहत जनपद के युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा था।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, गोपेश्वर (चमोली)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-**

(अ) शून्य

(I) **अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या**

3. सतत् अनियमितताएः-

(अ) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री के.एन. गैरोला	जि.यु.क. एवं प्रा.र.द.अ.	14.05.2010 से 13.07.2015
2.	श्री एस.एस. भंडारी	जि.यु.क. एवं प्रा.र.द.अ.	14.07.2015 से 21.09.2015
3.	श्री एन.पी. थपलियाल	जि.यु.क. एवं प्रा.र.द.अ.	21.09.2015 से अद्यतन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, गोपेश्वर (चमोली)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)